COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

228

PBR/निगरानी/मंदसौर/भू.रा./2017/2128

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–मन्दसौर

1– कन्हैयादास पुत्र श्री रतन दास जी बेरागी
2– गीता बाई बेवा रतन दास जी बेरागी
निवासीगण– ग्राम सीतामऊ तहसील सीतामऊ जिला – मन्दसौर (म.प्र.)
...........आवेदकगण

विरूद्ध

1– रामचन्द्र दास पुत्र श्री रतन दास जी बेरागी
निवासी – ग्राम खेडा तहसील सीतामऊ जिला – मन्दसौर (म.प्र.)
2– सम्पत बाई बेवा रतन दास जी बेरागी
3– कारूदास पुत्र श्री कन्हैयादास जी बेरागी
4– राधेश्याम दास पुत्र श्री रतनदास जी बेरागी
5– सुमित्रा बाई पुत्र श्री रतनदास जी बेरागी
निवासीगण– ग्राम सीतामऊ तहसील सीतामऊ जिला – मन्दसौर (म.प्र.)
.... अनावेदकगण

आज दि. 07.7.17 को

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

07/07/17

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सीतामऊ जिला मन्दसौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 52/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 28.06.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

1– यहकि, ग्राम खेडा तहसील सीतामऊ में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 130 रकवा 0.170 के संबंध में तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 4/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 24.01.2013 से आवेदकगण का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित किये जाने का आदेश पारित किया।

2– यहकि, विवादित भूमि रतनदास के पिता धूलदास जी की स्वअर्जित सम्पत्ति थी। व उनको स्वअर्जित सम्पत्ति अपने स्वेच्छा अनुसार देने का अधिकार प्राप्त था। उस अनुसार उन्होने अपने मृत्यु के पूर्व दिनांक 13.02.1996 को वसीयतनामा कन्हैयादास के पक्ष में निष्पादित किया गया है व उसमे स्वंय की व उनकी पत्नी मृत्यु के बाद कन्हैयादास को उक्त भूमि का मालिक होना अपनी

XXIX(a)-BR(H)-11

(228)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/मंदसौर/भू.रा./2017/2128

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	